राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2076

11 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि खर्च करने के लिए दिशानिर्देश

2076. श्री विनय दीनू तेंदुलकरः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी॰एस॰आर॰) राशि खर्च करने के दिशानिर्देश क्या हैं तथा यह राशि किस-किस कार्य के लिए, कहां-कहां और कितनी-कितनी खर्च की गई है; विगत पांच वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) गोवा प्रांत के तहत वह कौन-से संसदीय क्षेत्र हैं जहां सीएसआर धनराशि को समुदायिक विकास के लिए खर्च किया गया है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के जरिए किए गए संशोधन के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों सहित ऐसे सभी निगमों, जिनकी वित्तीय पात्रता अधिनियम में यथानिर्धारित सीमा से अधिक है, को तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के औसत निवल लाभ (पीबीटी) का न्यूनतम 2% सीएसआर कार्यों के लिए आवंटित करना होगा। इसके अतिरिक्त, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा धारा 469 की उपधाराओं (1) तथा (2) के अनुसरण में 01 अप्रैल, 2014 से कंपनी (सीएसआर) नियमावली, 2014 को अधिसूचित किया है।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सीएसआर के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के चयन एवं उनके संपादन में पारदर्शिता बनाए रखने तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए

दिनांक 01.08.2016 को केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए दिशानिर्देश जारी किया है। तदुपरांत अप्रैल, 2018 में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के सम्मेलन में की गई अनुशंसाओं के अनुसार लोक उद्यम विभाग द्वारा 10.12.2018 को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक वर्ष एक सामान्य विषय चुने जाने, विषयगत कार्यक्रमों पर वार्षिक सीएसआर व्यय का 60% खर्च किए जाने, नीति आयोग द्वारा अभिज्ञात जरुरतमंद जिलों को अधिमानता दिए जाने आदि का प्रावधान है। वर्ष 2019-20 में सीएसआर का विषय है- स्वास्थ्य संरक्षण, पोषण तथा विद्यालयी शिक्षा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में ऐसे सीएसआर कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिन पर विशेष रूप से बल दिया जाना है और इन कार्यों में शिक्षा की स्थिति में सुधार, महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सतत व दीर्घकालिक आय उपार्जन, दिव्यांगों को सहायता, जल तथा सफाई की सुविधाओं तक पहुँच, गाँवों का विकास, पर्यावरण की दीर्घकालिक गुणवत्ता, खेल-कूद प्रशिक्षण, पारंपरिक कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। सीएसआर से संबंधित कार्य मुख्यतः इस्पात संयंत्रों, इस्पात टाउनशिप तथा खानों के आस-पास के क्षेत्रों में किए जाते हैं। गत पाँच वर्षों अर्थात् 2015-16 से 2019-20 के दौरान इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा सीएसआर कार्यों पर किए गए व्यय का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में है।

(ख): इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों ने गोवा में सीएसआर से संबंधित कोई कार्य नहीं किया है।

****

अनुलग्नक-I

दिनांक 11.03.2020 को उत्तरार्थ राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2076 के भाग (क) का उत्तर

(लाख रुपये में)

सीपीएसई का नाम	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20***
सेल	7616	2905	2570	3118	1724
आरआईएनएल	873	853	960	1030	509**
एनएमडीसी	21009	17418	16937	16724	3388
मेकॉन	222	67	49	17	41
मॉयल	1486	1143	962	929	722
केआईओसीएल	64	38	16	33	75#
एमएसटीसी	150	80	215	200	शून्य

* दिसंबर, 2019 तक

** जनवरी, 2020 तक

फरवरी, 2020 तक

***